



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या- 453 राँची, बुधवार,

23 सितम्बर, 2020 (ई०)

#### भारत निर्वाचन आयोग

-----

#### अधिसूचना

17 सितंबर, 2020

**संख्या- 52/2020/एसडीआर/खंड I--** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786(अ.), दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया,  
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना को अंग्रेजी में अनुवाद सहित, झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राहुल कुमार पुरवार,**  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

-----

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

-----

**NOTIFICATION**

**17<sup>th</sup> September, 2020**

**No. 52/2020/SDR/Vol.I--** In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State/Union Territory and who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the general elections or bye-elections in the State/Union Territory concerned, to be notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 3786(E), dated 22<sup>nd</sup> October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, until further orders.

By order,

**NARENDRA N. BUTOLIA,**  
Sr. Principal Secretary.

-----